



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

धारा 482 के अंतर्गत प्रार्थनापत्र संख्या – 2482/2026

शादाब

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, गृह विभाग लखनऊ एवं एक अन्य

... विरोधी पक्षकार (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – सैयद नायब रज़ा, धीरज कुमार श्रीवास्तव

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :– शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता ने विपक्षी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है जिसे अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं राज्य हेतु विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. यह प्रार्थनापत्र, पुलिस थाना- गुडंबा, जिला- लखनऊ से संबंधित अपराध संख्या 259/2018 अंतर्गत धारा 376/506 भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, से उद्भूत सत्र परीक्षण संख्या 972/2019 की सम्पूर्ण कार्यवाही के साथ-साथ दिनांक 6.8.2018 के आक्षेपित समन आदेश और दिनांक 3.8.2018 के आरोप पत्र को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।
4. प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी गलतफहमी के कारण, वर्तमान प्राथमिकी प्रार्थी के विरुद्ध दर्ज कराई गई है और तत्पश्चात, पक्षकारों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। समझौते के विलेख को दिनांक 27.01.2024 को लिखित रूप प्रदान किया गया है, जिसे वर्तमान प्रार्थनापत्र के अनुलग्नक संख्या 9 के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रूप में संलग्न किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब पक्षकारों को एक-दूसरे के प्रति कोई शिकायत नहीं है और प्रार्थी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही एक निरर्थक कवायद है क्योंकि मुकदमे का कोई भविष्य नहीं है और यह उत्पीड़न के समान है, अतः प्रार्थी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाए।

5. दूसरी ओर, विपक्षी पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया है और यह तर्क प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों ने समझौता विलेख के माध्यम से अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और वर्तमान प्रार्थीगण के विरुद्ध विपक्षी पक्षकारों की अब कोई शिकायत नहीं है और प्रार्थीगण के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. अब पक्षकारों ने वास्तव में समझौता किया है या नहीं, यह तो अवर न्यायालय ही सर्वश्रेष्ठ रूप से सुनिश्चित कर सकती है क्योंकि ऐसे समझौते को न्यायालय के समक्ष संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में सम्यक रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।

8. तदनुसार, इस प्रार्थनापत्र का निस्तारण संबंधित न्यायालय को यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि यदि उसके समक्ष ऐसा कोई समझौता दाखिल किया जाता है, तो वह समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की अपेक्षा हेतु नोटिस जारी करेगा और उसके बाद, समझौते को सत्यापित करने की कार्यवाही करेगा। यदि उपरोक्त समझौता सत्यापित हो जाता है, तो उस आशय की एक रिपोर्ट न्यायालय द्वारा तैयार की जाएगी और समझौते को अभिलेख का भाग बनाया जाएगा।

9. उस स्थिति में न्यायालय पक्षकारों को रिपोर्ट और समझौते की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की अनुमति देगा और प्रार्थीगण हेतु कार्यवाही को रद्द करने हेतु पुनः इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

10. तीन माह की अवधि के लिए, पुलिस थाना- गुडंबा, जिला- लखनऊ में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 259/2018 अंतर्गत धारा 376/506 भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, से उद्धृत सत्र परीक्षण संख्या 972/2019 के अनुसरण में प्रारंभ की गई कार्यवाही, साथ ही दिनांक 6.8.2018 का आक्षेपित समन आदेश और दिनांक 3.8.2018 का आरोप पत्र, जहाँ तक प्रार्थी का संबंध है, स्थगित रहेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. विचारण न्यायालय को इस तथ्य की जांच करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या वे सभी पक्ष जिनके विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया था, इस समझौते में पक्षकार हैं और इस संबंध में वह सत्यापन आदेश के साथ एक आख्या भी प्रेषित करेगा।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई मूल समझौता विलेख है, तो उसकी छायाप्रति प्राप्त करने के बाद उसे प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता, यदि कोई हो, को लौटा दिया जाए।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

24 मार्च, 2026

वी. सिन्हा